वित्तीय स्वीकृति

संख्या– 325 /XVII-4/2018–10(19)2009

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 **देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2018**

विषय–वित्तीय वर्ष 2017–18 में "आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3427/स.क./लेखा–बजट/2017–18 दिनांक 13.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–02–101–11 विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी.**संख्या–**3180115016...**दिनांक**..16.01.18...के द्वारा **₹7.90 लाख (रूपये सात लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

क्रमशः–2

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण–वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण, 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 11–विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–17/XXVII(1)/2017–18 दिनांक 10.01.2018 में उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

संख्याः –325 (1)/XVII-4/2018-10(19)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 325/XVII-4/2018-28(V.K)/Bud./2015

अलोटमेंट आई डी - S1801150161

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -10-Jan-2018

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

11 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम

00 - विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	544000	0	544000
02 - मजदूरी	30000	0	30000
03 - महंगाई भत्ता	33000	0	33000
04 - यात्रा व्यय	10000	0	10000
06 - अन्य भत्ते	38000	200000	238000
07 - मानदेय	5000	0	5000
08 - कार्यालय व्यय	30000	0	30000
09 - विद्युत देय	30000	0	30000
10 - जलकर / जल प्रभार	10000	0	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	30000	0	30000
13 - टेलीफोन पर व्यय	60000	0	60000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	100000	0	100000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	450000	580000	1030000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	250000	10000	260000
18 - प्रकाशन	50000	0	50000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	30000	0	30000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	10000	0	10000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	30000	0	30000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	0	50000
42 - अन्य व्यय	41000	0	41000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	50000	0	50000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	0	50000
	1931000	**790000**	**2721000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 790000

(महेन्द्र सिंह) 10.1.18
अनुभाग अधिका
समाज कल्याण अ